फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

मुकदमा मदन लाल बनाम कालूलाल

पत्रावली संख्या 28/22 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पक्षकारों को सूचनाएँ जारी
	3.6.24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से प्रतिवादीगण की तामिल हेतु नियत है। वादी अधिवक्ता द्वारा सम्मन प्रोसेस पेश किए ~~गए~~ नहीं है। वादी अधिवक्ता को पालन हेतु पूर्व में अंतिम अवसर दिया जा चुका है। वादी का दायित्व है कि वह सम्मन प्रोसेस पेश करें वादी अधिवक्ता आज उपस्थित नहीं जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहता है। ~~अतः~~ अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 व आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी, अदम तामिल में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (रिया डाबी) IAS	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.12.13 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested